

Dr. Khalid Hussain

मान्यता के सिद्धांत
(Theories of Recognition)

मान्यता के स्वल्प, कार्य तथा निश्चित
आधुनी निहितार्थ प्रभावों के संबंध में अनर्थाप्रीय विधि के
लेखकों को बीच सैद्धांतिक विवाद पाया जाता है। सामान्य रूप
से मान्यता संबंधी दो मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं:-

- (i) Constitutive Theory तथा (ii) Declaratory Theory
(निर्माणात्मक तथा औपपात्मक सिद्धांत)।

Constitutive theory (निर्माणात्मक सिद्धांत)
निर्माणात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में Oppenheim,
Guggenheim, Anzilotti, Holland, Kelsen,
Schwarzenberger, Lauterpacht तथा कुछ अन्य विधिवेत्तों
का नाम उल्लेखनीय है। पश्चिमी देश मान्यता के
निर्माणात्मक सिद्धांत के ही समर्थक रहे हैं। यह विचारधारा
के अनुसार मान्यता प्राप्त के पश्चात् ही कोई समुदाय
राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है या किसी नई
संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाठिकात् प्राप्त होता है।
Oppenheim के शब्दों में "through recognition only
and exclusively a state becomes an international
person and a subject of international law."

राज्य व्यवहार को हेतु इत
Lauterpacht ने यह निराकरण निकाला है कि मान्यता प्रकृति
से निर्माणात्मक है। मान्यता के प्रश्न को राजनीतिक प्रभाव से
बचाव रखने के लिए Lauterpacht ने यह सकार ही है कि
जो कुछ राजत्व के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर लेता है या
जो संस्था किसी राज्य के प्रतिनिधित्व की योग्यता रखती है
उसकी मान्यता को राज्यों का वैधानिक कर्तव्य घोषित किया
जाना चाहिये।

मान्यता का निर्माणात्मक सिद्धांत कई लोगों से
ग्रहण है। विशेष रूप से मान्यता के दूसरे सिद्धांत-औपपा-
त्मक सिद्धांत (Declaratory Theory) के समर्थकों में निर्माणात्मक
सिद्धांत की कटु आलोचना की है।

यह सिद्धांत में सबसे पहले इसके कर्तव्य सैद्धांतिक
आधार का उल्लेख किया जा चुका है। निर्माणात्मक सिद्धांत

व्यवहारवाद के सिद्धांत (Doctrine of Positivism) पर आधारित है परंतु पिछले सत्रासत्र 75 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकास हुए हैं जिनके चामी व्यवहारवाद के सिद्धांत की स्वीकार्यता में कमी आयी है।

दूसरे, निर्माणात्मक सिद्धांत की स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि मान्यता रहित राज्य का अंतर्राष्ट्रीय विधि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। ऐसे सिद्धांत की स्वीकार करने का अर्थ होगा अराजक परिस्थिति की उपस्थिति।

तीसरे, निर्माणात्मक सिद्धांत के विरुद्ध यह व्यवहारिक तर्क यह है कि मान्यता रहित राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य माने जाते रहे हैं।

अन्त में, मान्यता के निर्माणात्मक सिद्धांत के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी सम्प्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कितने राज्यों की मान्यता आवश्यक है। फिर, यदि State 'A' किसी राज्य की मान्यता प्रदान कर देता है, परंतु State 'B' उस राज्य की मान्यता प्रदान नहीं करता तो क्या स्थिति में वह राज्य (अंतर्राष्ट्रीय) के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है, परंतु वही राज्य State 'B' के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं हो पाता। यह स्थिति विचित्र स्थिति है।

Declaratory Theory

मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निर्माणात्मक सिद्धांत के विरोध स्वरूप किया गया है। Hall, Mackworth, Hall, Brierly, Bishop, Starke, T.C. Chaw तथा कई अन्य लेखकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्यों के व्यवहार से इसे माली समर्थन प्राप्त हो रहा है। अफ्रीका और एशिया के नवीन राष्ट्रों ने निश्चित रूप से मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत की ही अधिक स्वीकार्य प्रवृत्ति मानते रहे हैं।

मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत की अन्वयमान्यता का कोई निर्माणात्मक प्रभाव नहीं होता है। यदि राज्य का प्राप्ति वास्तव में है या सम्बन्ध की सहा

स्थापित है तो वही सिद्ध है यह बात अर्थहीन है कि राज्य या सरकार ही सत्ता की औपचारिक रूप से दूसरे राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है या नहीं। यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की इच्छा से एक स्थापित राज्य को स्वीकार करने की घोषणा के परिमित और कुछ नहीं है। 1936 में मान्यता के संवैधानिक अर्थों में अपने एक प्रस्ताव में Institute of International Law ने यह विचार व्यक्त किया था कि Recognition has a declaratory effect.

घोषपालक सिद्धांत की अधिक स्वीकार्यता के कारण घोषपालक सिद्धांत कुछ क्षेत्रों से ग्रस्त है कुछ विद्वानों में उद्धरणों की माध्यम से यह साबित करने का प्रयत्न किया है कि आन्तरिक मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। 1951 में मंचूरिया पर आक्रमण करने के पश्चात जापान ने एक स्वतंत्र मंचूरिया नामक राज्य की स्थापना की घोषणा की परंतु अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के अभाव में मंचूरिया राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो सका। दूसरे यह कहना भी उचित नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत मान्यता का राज्य पर कोई प्रभाव नहीं होता।

सूत्रांकन:- मान्यता के निर्मापालक सिद्धांत तथा घोषपालक सिद्धांत की व्याख्या एवं परीक्षण से स्पष्ट है कि दोनों में से कोई भी सिद्धांत को न तो पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार। मान्यता के घोषपालक सिद्धांत के समर्थकों की इस बात की स्वीकार करते हैं कि मान्यता के कुछ लाभ हैं और उसी राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के कार्यान्वयन आसान हो जाते हैं। मान्यता से नए राज्य के आन्तरिक के स्थापित होने में भी सहायता प्राप्त होती है। 1919 में Latvia, Lithuania तथा Estonia के लिए से नए राज्य के रूप में उदय में पश्चिमी देशों की मान्यता ने सहायता प्रदान की। दूसरी ओर, निर्मापालक सिद्धांत का यह

VIII

A 4

प्रतिपात राज्यों के व्यवहार से मीस नहीं लगती कि
आमान्य राज्यों या सत्तारों का कोई काबू आखिर नहीं
होगा। वास्तविकता यह है कि मान्यता रहित राज्यों की
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग नहीं
है तथा कानूनों से अपनी को बाध्य समझा ही नहीं
आखिर मान्यता की प्रकृतात् प्रभाव के नियम से ही
बोधपालक सिद्धांत को बस सिद्ध ही मान्यता चाहिए
जब की जाय उसी उक्त कि से प्रभावकारी माना जाता है।
जब किसी सभ्य का राज्य के रूप में उदय हुआ
या कोई सत्ता आखिर हुआ 1923 के *Luther vs Sagor*,
1925 के *Pineo* पंच निर्णय तथा कई अन्य मामलों में
न्यायिक निर्णय से मान्यता के प्रकृतात् प्रभाव को पक
होती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि मान्यता के प्रभाव की
नकाप नहीं जा सक्ती तथापि बोधपालक सिद्धांत को ही
अधिक - पीरोप 96 सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता
था। इसका अधिक पीरोप 96 होने ही इसी व्यापक
स्वीकार्यता का सबसे बड़ा कारण है।